



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1684/Type Approval No. 1684

**मद/For Item : इजेक्टर शट-ऑफ वाल्व पार्ट सं. 1236 00 000/
Ejector Shut-off Valve Pt. No. 1236 00 000**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एचएएलए एएसईआरडीसी, लखनऊ द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ-226016 द्वारा उत्पादित “इजेक्टर शट-ऑफ वाल्व” पार्ट सं. 1236 00 000 को जी.ए आरेखन सं. 1236 00 000-111 इश्यू-1 दिनांक 25 जून 2011 के अनुसार हिन्दुस्तान जेट ट्रेनर (एचजेटी-36) वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए(लखनऊ) के समन्वय से टाइप टेस्ट शेड्यूल सं. 1236 00 000-154, इश्यू-1ए, दिनांक 22 फरवरी 2011 और नियन्त्रक अभिकल्प विनिर्देश सं. 1236 00 000-204 इश्यू-डी दिनांक 21 दिसम्बर 2010 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the “Ejector Shut-off Valve” bearing the Part No. 1236 00 000 has been designed, developed by M/s.HAL, ASERDC, Lucknow, and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016 is hereby approved for production as per G.A drawing No. 1236 00 000-111, Issue-1, Dated 25th Jun 2011, for use in “Hindustan Jet Trainer (HJT-36) Aircraft. The product has been tested in co-ordination with RCMA (Lucknow), as per Type Test Schedule No. 1236 00 000-154, Issue-1A, dated 22nd Feb 2011 and Governing Design Specification No.: 1236 00 000 - 204, Issue-‘D’, dated 21st Dec 2010. The product has met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2016** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (लखनऊ)**, एचएएल पी.ओ, लखनऊ - 226 016 के माध्यम से सेमिलेक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2016 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Lucknow), HAL P.O, Lucknow-226 016, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो या किसी भी चरण में उत्पादन प्रक्रिया/मेटिरियल्स में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक)**, बंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any to the SOP declared to the performance indicated and change in manufacturing process/materials at any stage within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और **डी.जी.ए.क्यू.ए**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1684

दिनांक/Date: 13 Oct 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


13/10/2011


(पी एस देशमुख/P. S. DESHMUKH)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg. Chief Executive (Airworthiness)